फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

टाटा मोटर्स फाईनेंस लि. शाखा : थाने पश्चिम, मुम्बई — **प्रार्थी**

बनाम

1. निधिकमल ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि. पत्ता :– 1299/99, महाराजा गार्डन रेस्टोरेन्ट के सामने, पर्बतपुरा बाईपास, जयपुर रोड, अजमेर (राज.) 305008
2. श्री अशित जैन, पत्ता :– प्लॉट नं. 33–38, शुभम कॉलोनी, पुष्कर बाईपास, घूघर, अजमेर (राज.) 305001
3. श्रीमती लोकमनी जैन पत्ता :– 172–173, कासलीवाल पथ, गोपालपुरा बाईपास, मंगल विहार, जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर –(राज.) 302018
4. श्री अमिताभ जैन पत्ता :– 172–173, कासलीवाल पथ, गोपालपुरा बाईपास, मंगल विहार, जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर –(राज.) 302018

–ऋणी/जमानतदार
–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 50/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.12.2021 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी टाटा मोटर्स फाईनेंस लि. शाखा : थाने पश्चिम, मुम्बई ने इस न्यायालय में दिनांक 05.10.2021 को धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 16.09.2016 को रूपये 3,50,00,000/– एवं दिनांक 27.01.2017 को रूपये 2,70,00,000/– कुल राशि रूपये 6,20,00,000/– का ऋण स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी/जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजो को निष्पादित किये थें। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पतियॉ, प्रतिभूति करार के अर्न्तगत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैं:– बंधक अचल सम्पत्ति :– वाणिज्यिक प्लॉट खसरा नम्बर 342/1, ग्राम भगवान्दा, पंचायत समिति राजसमन्द जिला – राजसमन्द में स्थित हैं जिसका क्षैत्रफल लगभग 4800 वर्गमीटर हैं। जिसकी चारो सीमाऍ – पूर्व – काटचा रोड, पश्चिम – पहाडी, उत्तर – नेशनल हाइवे नं. 8, दक्षिण – पहाडी। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, प्रदत ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चुक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय हैं। ऋण और	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को नॉन–बैंक फायनेन्स कम्पनी के द्वारा नियमानुसार दिनांक 02.09.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। नॉन–बैंक फायनेन्स कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 29.01.2020 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अर्न्तगत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि रूपये 2,35,56,151.53/– अक्षरे रूपये दो करोड पैंतीस लाख छप्पन हजार एक सौ इक्यावन एवं पैसे तिरेपन मात्र दिनांक 15.01.2020 तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि करने के लिए मांग की। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (नॉन– बैंक फायनेन्स कम्पनी) को सूपर्द करने का अधिकार प्राप्त हैं। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 29.01.2020 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

धारा 14(1) के मुख्य अंश – जहॉ किसी प्रतिभूत आस्तियो का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियन्त्रण में लेने के प्रयोजन के लिए, लिखित में जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा और जिला मजिस्ट्रेट उनको किये गये उस अनुरोध पर (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेंगे और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेंगे। उप–धारा (2) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कदमों को लेंगे या लेवा सकेंगे या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेंगे जो उनकी राय में आवश्यक हो सकेगा उप–धारा (3) इस धारा की अनुपालना में जिला मजिस्ट्रेट का कोई भी कार्य किस न्यायालय में या किसी अधिकारी के समक्ष प्रश्नांकित नहीं किया जायेगा। अचल सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार में है, का पता निम्न है बंधक अचल सम्पतिः–

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

वाणिज्यिक प्लॉट खसरा नम्बर 342/1, ग्राम भगवान्दा, पंचायत समिति राजसमन्द जिला – राजसमन्द में स्थित हैं जिसका क्षैत्रफल लगभग 4800 वर्गमीटर हैं। जिसकी चारो सीमाएँ – पूर्व – काटचा रोड, पश्चिम – पहाडी, उत्तर – नेशनल हाइवे नं. 8, दक्षिण – पहाडी।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी टाटा मोटर्स फाईनेंस लि. शाखा : थाने पश्चिम, मुम्बई के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी टाटा मोटर्स फाईनेंस लि. शाखा : थाने पश्चिम, मुम्बई को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)